

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(10)राज / 2018 /

दिनांक : / 3 / 2018

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री विजय कुमार पुत्र श्री शूभाराव जाति नायडू निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी बी पुरम कुकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना) ने ग्राम धतरवालों का बास स्थित कृषि भूमि ख0न0 347 रकबा 0.89 है0, ख0न0 348 रकबा 0.65 है0, ख0न0 349 रकबा 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0 में से सम्पूर्ण रकबा 2.23 है0 भूमि का कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः उक्त आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत राजस्व (गुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 6-10-2016 के अधीन तथा नियम 9(2) के अन्तर्गत अनुमोदित नक्शे के अनुसार अकृषिक प्रयोजन कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री विजय कुमार पुत्र श्री शूभाराव जाति नायडू निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी बी पुरम कुकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का व्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम धतरवालों का बास, ग्राम पंचायत ओजटू तहसील चिड़ावा ख0न0 347, 348, 349 रकबा क्रमशः 0.89, 0.65, 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0 ख0न0 347, 348, 349 रकबा क्रमशः 0.89, 0.65, 0.69 है0 कुल रकबा 2.23 है0 में से सम्पूर्ण रकबा (2.23 है0)
	टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	कॉलोनी प्रोजेक्ट (आवासीय कॉलोनी) प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 210 दिनांक 26-2-18 राशि 1,67,250/- रुपये
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

10	<p>उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-</p> <p>(1) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का राजहक में समर्पण करने के पश्चात ही निर्माण करेगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।</p> <p>(2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।</p> <p>(3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र/पार्क/सड़क हेतु आरक्षित भूमि छोड़कर निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।</p> <p>(4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 17-7-2007 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे रथानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा।</p> <p>(5) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा।</p> <p>(6) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।</p> <p>(7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पैट्रोलियम विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।</p> <p>(8) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।</p> <p>(9) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।</p> <p>(10) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।</p>
----	--

क्रमांक प 12(3)(10)राज/2018 / 608-13
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-


1. उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा।
2. तहसीलदार/उप पंजीयक चिड़ावा को पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुञ्जूनू।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड चिड़ावा।
5. श्री विजय कुमार पुत्र श्री शूभाराव जाति नायडू निवासी 5-5-35/330/71 ए ए बी बी पुरम कुकतपल्ली हैदराबाद, (तेलंगाना)।
6. गार्ड फाईल

—
(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, झुञ्जूनू
दिनांक : 21/3/2018


(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, झुञ्जूनू

नगरी नव्या प्रस्तावित आवासीय (चलोनी ग्रोव्ह)

याम-पत्रवालों काब्स



1
24.11.17.
तहसीलदार - विडाया

मुक्त अधिकारी
राजस्थान सरकार
दूसरे, रुद्धि

24.11.17
मुक्त अधिकारी

24.11.17

■ प्रक्षावित ग्रामी

■ ग्राम ओजदूँ की ग्रामी

■ प्रक्षावित ग्रामी तक पुँच का
रास्ता जो वर्तमान में सौंडे पर
मोर्चद है एवं नाजस्व रेकार्ड में
रख नहीं है।

पु-पु - 11 KV H.T. लाइन

नव्या दिनांक

ग्राम - घरपासों का वालाला जैसे इ


तहसील चिह्नाव

चिता - छुड़ुन

सन - १५६६८८



S



राजहड़ में चिशुल्क भारी डिया गया।

24/11/17
- नव्या

प्रभाय अधिकारी

C-5-
24/11/17.

तहसीलदार - चिह्नाव



जमावन्दी (खेत्र/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रयत्र पी-26(बी)
(वैधिक नियम 153 ग्र.)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- धरवालोःकावास
पटवार हल्का :- औजदू
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- चिडावा
तहसील :- चिडावा
जिला :- झूंझुनू

काश्तकार का नाम:-

1.) एस.विजयकुमार पुत्र शुभाराव हिस्सा- पूर्ण जाति- नायदू
 सा.नं.5-5-35/330/71एएवीबीपुरमकुकटपल्लीहैदराबाद(तेलंगाना)500072 खातेदार,

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 158
खाता संख्या पुराना :- 17

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सदत लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
347	0.8900	आवासीय कोलोनी	0.8900		स्वीकृत नामान्तरकरण : 581 28/05/2018 रूपान्तरकरण	
348	0.6500	आवासीय कोलोनी	0.6500			
349	0.6900	आवासीय कोलोनी	0.6900			
कुल खसरे -	3	2.2300	2.2300			

प्रतिलिपि क्रमांक - 57910 प्रतिलिपि शुल्क - 10

नकल जारी करने की तिथि :-

5-Jun-2018

खपता खाता के दस्तऐवं जारी करने सहित प्राप्त

सत्य प्रतिलिपि **—रमेश**
एल. डार. ५०० पटवारी

प्रभारी, अपना खातेकोन्ना दिहावा।

तहसील चिडावा